कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 451/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 10.12.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 10.12.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

थाना – कोतवाली, जनपद आज़मगढ़

भूमि विवाद के वजह से हुए रजनीश की हत्याकांड का हुआ खुलासा — 04 नफ़र अभियुक्त गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला-क़त्ल बरामद

वादी का विवरण व पूर्व घटना / इतिहास-

अवगत कराना है कि दिनांक- 06.12.2025 को वादी राघव पाण्डेय पुत्र सत्यभूषण पाण्डेय, निवासी ग्राम मार्रा कर्मनाथपट्टी थाना रौनापार जनपद आज़मगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर तहरीर दी गई कि—उनके पुत्र रजनीश पाण्डेय (उम्र लगभग 45 वर्ष) का पिछले लगभग 20 वर्षों से नगीना सिंह, इन्द्रसेन सिंह, भीमसेन सिंह, उग्रसेन सिंह निवासीगण पुरूषोत्तमपुर बनकट थाना मुबारकपुर तथा आजम पुत्र अलीम निवासी दाऊदपुर बाघखालीस थाना जीयनपुर से 03 बीघा भूमि को लेकर गंभीर विवाद व मुकदमेबाजी चल रही थी। वादी के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा उनके पुत्र रजनीश पाण्डेय को कई बार जान से मारने की धमकी दे चुके थे।

दिनांक 06.12.2025 को रजनीश पाण्डेय गाँव से अपनी पत्नी के पास आज़मगढ़ लौट रहे थे, तभी लगभग 06:30 बजे सिकरौड़ा पुलिया पर घात लगाए बैठे अभियुक्तों ने रोककर हमला किया। ललकार के बाद नगीना सिंह ने तमंचे से फायर किया, गोली सीने में लगने से रजनीश पाण्डेय की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस पर मु0अ0सं0 637/25, धारा 103(1), 3(5) बीएनएस थाना कोतवाली में पंजीकृत हुआ।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में, प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय टीम द्वारा मुकदमे से संबंधित वांछित 04 अभियुक्तों को दिनांक 10.12.2025, समय 00:15 बजे शिवालिक मेडिकल कॉलेज, सिक्स लेन, थाना कोतवाली के पास से गिरफ्तार किया गया।

अपराध का तरीका (Modus Operandi)

- भूमि विवाद व लगातार मुकदमों के चलते अभियुक्त रंजिश में थे।
- सभी अभियुक्तों ने रजनीश पाण्डेय को समाप्त करने हेतु पूर्व–नियोजित षड्यंत्र बनाया।
- दिनांक 06.12.2025 को शाम 06 बजे के आसपास अभियुक्तगण सिकरौड़ा पुलिया पर पहले से छिपकर खड़े रहे।
- रजनीश पाण्डेय के पहुँचते ही पुत्रों — इन्द्रसेन, भीमसेन व उग्रसेन — ने ललकारा।
- इसके बाद नगीना उर्फ रामनगीना सिंह ने 315 बोर तमंचे से सीने पर गोली मारी।
- सभी अभियुक्त खेतों के रास्ते से फरार हो गए। पूछताछ में सभी अभियुक्तों ने भूमि-विवाद को ही हत्या का मुख्य कारण स्वीकार किया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. नगीना उर्फ रामनगीना सिंह पुत्र भगवती सिंह — उम्र 59 वर्ष
2. इन्द्रसेन उर्फ संतोष सिंह पुत्र रामनगीना सिंह — उम्र 41 वर्ष
3. भीमसेन उर्फ गुलगुल सिंह पुत्र रामनगीना सिंह — उम्र 38 वर्ष
4. उग्रसेन उर्फ लाडो सिंह पुत्र रामनगीना सिंह — उम्र 32 वर्ष

बरामदगी

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 अदद खोखा कारतूस

- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

(अभियुक्त नगीना सिंह द्वारा प्रयोग किया गया आला-क़त्ल)

पूछताछ का सार

पूछताछ में सभी अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि—

- पीड़ित से लंबे समय से जमीन का विवाद व मुकदमेबाजी चल रही थी।
- रजनीश पाण्डेय द्वारा लगातार नए मुकदमे किए जाने व धमकियों के कारण वे उससे अत्यधिक परेशान थे।
- इसे हमेशा के लिए समाप्त करने की नीयत से अभियुक्तों ने सामूहिक रूप से योजना बनाकर हत्या की।
- हत्या का फायर नगीना सिंह द्वारा करना स्वयं अभियुक्तों ने स्वीकार किया।

पंजीकृत अभियोग

1-मु0अ0सं0 637/25, धारा 103(1), 3(5) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आज़मगढ़

आपराधिक इतिहास

(1) नगीना सिंह

- मु0अ0सं0 637/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस थाना कोतवाली
- मु0अ0सं0 315/23 धारा 147/323/325/34/504/506 भादवि थाना मुबारकपुर

(2) इन्द्रसेन सिंह

- मु0अ0सं0 637/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस थाना कोतवाली

(3) भीमसेन सिंह

- मु0अ0सं0 637/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस थाना कोतवाली
- मु0अ0सं0 315/23 धारा 147/323/325/34/504/506 भादवि थाना मुबारकपुर

(4) उग्रसेन सिंह

- मु0अ0सं0 637/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस थाना कोतवाली
- मु0अ0सं0 315/23 धारा 147/323/325/34/504/506 भादवि थाना मुबारकपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय
- उ0नि0 अखिलेश नारायण सिंह, चौकी प्रभारी बलरामपुर
- उ0नि0 रामकिशोर शर्मा, चौकी प्रभारी ब्रह्मस्थान
- का0 विवेक शर्मा, का0 अखिलेश कुशवाहा, कां0 सुमित
- हे0का0 अजब नारायण सिंह, कां0 आशीष यादव

थाना कोतवाली, जनपद आज़मगढ़

थाना तरवां, जनपद आज़मगढ़

जान से मारने की नीयत से मारपीट करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण-

दिनांक 08.12.2025 को सायं 07:00 बजे, वादी मुकदमा का भाई बृजेश राजभर पुत्र अमरनाथ राजभर निवासी पकड़ी कला, थाना तरवां, भोजन करके पाई (कनखुरिया) पर सोने हेतु जा रहा था कि रास्ते में

1. शिवा सिंह पुत्र झिनकु सिंह, निवासी पकड़ी कला
2. अमन सिंह पुत्र ललन सिंह, निवासी डुभांव
3. तीन अज्ञात व्यक्ति

द्वारा लाठी-डंडे व पंच से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर बेहोश हो गया। अभियुक्तों द्वारा मारपीट के दौरान गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित के परिजन द्वारा दिनांक 09.12.2025 को थाना तरवां में लिखित तहरीर देने पर मु0अ0सं0 330/2025, धारा 3(5)/109/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 09.12.2025 को उ0नि0 दिनेश कुमार पाल चौकी प्रभारी पकड़ी कला मय पुलिस टीम क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त अमन सिंह पुत्र ललन सिंह (उम्र 21 वर्ष), निवासी डुभांव थाना तरवां को समय करीब 22:10 बजे, हैबतपुर डुभांव स्थित बराह मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी-

1. 01 अदद लकड़ी की लाठी (आला-ए-जुर्म)
2. 01 अदद लोहे का कड़ा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार, थाना तरवां
2. उ0नि0 दिनेश कुमार पाल, चौकी प्रभारी पकड़ी कला
3. का0 जितेंद्र निषाद, चौकी पकड़ी कला थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

थाना – रौनापार, जनपद आज़मगढ़

नाबालिग/युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना रौनापार में वादिनी द्वारा दिए गए लिखित प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि अभियुक्त जामवन्त उर्फ जमालु पुत्र देवनाथ, निवासी केवटहिया, थाना रौनापार, जनपद आज़मगढ़, विगत कुछ वर्षों से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया तथा बाद में मारपीट किया गया और विवाह करने से इंकार कर दिया। प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 09.12.2025 को थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 464/2025, धारा 69, 115(2), 352 बी.एन.एस. के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

उ0नि0 दयाशंकर मय हमराह पुलिस बल द्वारा की गई कार्रवाई में दिनांक 10.12.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त जामवन्त उर्फ जमालु पुत्र देवनाथ (उम्र 23 वर्ष)
निवासी केवटहिया, थाना रौनापार, जनपद आज़मगढ़ को करखिया मोड़ से समय लगभग 11:15 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 464/2025, धारा 69, 115(2), 352 बी.एन.एस., थाना रौनापार, जनपद आज़मगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 464/2025, धारा 69, 115(2), 352 बी.एन.एस., थाना रौनापार (वर्तमान अभियोग)

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. जामवन्त उर्फ जमालु पिता: देवनाथ, निवासी: ग्राम केवटहिया, थाना रौनापार, जनपद आज़मगढ़, उम्र: लगभग 23 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 दयाशंकर, थाना रौनापार
2. का0 राहुल यादव, थाना रौनापार
3. का0 अनिकेत शुक्ला, थाना रौनापार

थाना – कप्तानगंज, जनपद आज़मगढ़

युवती से छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण-

दिनांक 08.12.2025 को थाना कप्तानगंज में वादिनी द्वारा दिए गए लिखित प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री लगभग शाम 05:00 बजे ग्राम बनहवां बागीचा में बकरी चराने गई थी। उसी समय दिनेश सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह, निवासी ग्राम वाजिदपुर, थाना कप्तानगंज, जनपद आज़मगढ़ ने उससे छेड़खानी की। पीड़िता के शोर मचाने

पर जब आस-पास के लोग आने लगे तो अभियुक्त उसे जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। वादिनी के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कप्तानगंज पर
मु0अ0सं0 403/2025, धारा 74, 351(3) BNS व 9(ड)/10 POCSO Act के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण / घटना का अनावरण-

दिनांक 10.12.2025 को उ0नि0 रमेश चन्द्र सिंह मय हमराह क्षेत्र में चेकिंग, रोकथाम जुर्म व लंबित विवेचनाओं हेतु मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त दिनेश सिंह को मुखलिसपुर के पास स्थित भट्ठे के पास से गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. दिनेश सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह, निवासी: ग्राम वाजिदपुर, थाना कप्तानगंज, जनपद आज़मगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 403/2025, धारा 74, 351(3) BNS व 9(ड)/10 POCSO Act, थाना कप्तानगंज (वर्तमान अभियोग)

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 रमेश चन्द्र सिंह, थाना कप्तानगंज
2. का0 बृजेश गौड़, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।